न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 239/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/343)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।	1.आत्मा सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 2. इन्दर सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1. अवतार सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 2/2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 2/3. हरचरण सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 2/4. जीत कौर पत्नी इन्दर सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 3. मलकीत सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 4. रेशम सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 5. सुखदेव सिंह पुत्र लाल सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 6. स्वर्ण सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 7. गुरदेव सिंह पुत्र लाल सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 8. सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 17.07.2025

उपस्थितः1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7, 8

दिनांकः 05.01.2026

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 8, 28 की कुल 4.451 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा उनके कब्जा में इसी चक की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि पर आज तक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी अपनी सहूलियत के लिए अपने हिस्सा में आई उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज विभाजन करवाना चाहते है। वादी ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 8, 28 की कुल 4.451 हैक्टेयर भूमि में से वादी को घरू बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 7, 8 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 7, 8 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 7, 8 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 8, 28 की कुल 4.451 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी कुलदीप सिंह व प्रतिवादीगण गुरदेव सिंह, सुखविन्द्र कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने पंत्राक 4062 दिनांक 22.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 8, 28 की कुल 4.451 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 7, 8 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स	2 एक्स	8	1 10, 11	0.063 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर	नहरी नहरी	0.44 3.60

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

तहसील श्रीकरणपुर। (0.569 हैक्टेयर)						
2 गुरदेव सिंह पुत्र लाल सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर (1.063 हैक्टेयर)	2 एक्स	8	1	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.35
			2,3	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60
			4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
			5	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.27
			7	0.017 हैक्टेयर	नहरी	0.12
			8	0.017 हैक्टेयर	नहरी	0.12
			9	0.017 हैक्टेयर	नहरी	0.12
		28	21/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.18
			21/2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.18

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कुलदीप सिंह बनाम आत्मा सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 239/2025

निर्णय दिनांकः-05.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 8, 28 की कुल 4.451 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 7, 8 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। (0.569 हैक्टेयर)	2 एक्स	8	1 10, 11	0.063 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर	नहरी नहरी	0.44 3.60
2	गुरदेव सिंह पुत्र लाल सिंह जाति सैनीसिख निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर (1.063 हैक्टेयर)	2 एक्स	8 28	1 2,3 4 5 7 8 9 21/1 21/2	0.190 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.038 हैक्टेयर 0.017 हैक्टेयर 0.017 हैक्टेयर 0.017 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.35 3.60 1.62 0.27 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 06.01.2026 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	100	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**104**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2026/07 दिनांकः 06.01.2026

प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिक
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर